-184- 30/4/2012

JAN SANGHARSH VAHINI (JSV)

सेवा में,
श्री विनोद साकले
निदेश (योजना), डीडीए रोहिणी
पीपीआर जोन (एम एवं एन)
दीपाली चौक, सेक्टर–3,
रोहिणी, दिल्ली–110085

सुझाव कर्ता : भूपेन्द्र सिंह रावत
संयोजक : जन संघर्ष वाहिनी
पत्राचार : सी–172, विजय
विहार, फेस–2,
रोहिणी दिल्ली–110085
मोबाईल नं0 : 9013497453, 01120506929
Email: jsvindia1@gmail.com

Director (Plg.) MPR/TC, D.D.A. Vikas Minar N. DELHI-2 Dy.No. 2260 Dated 3/5/4

अनधिकृत कालोनियों (आवास) के संदर्भ में जन संघर्ष वाहिनी के सुझाव।

1 नियमितिकरण की सूची में शामिल अनधिकृत कालोनियां जिस जमीन पर आबाद हैं उस जमीन पर मास्टर प्लान 2021 के तहत प्रस्तावित सभी सड़कों, आवासीय, व्यवसायिक और औद्योगिक और हरितक्षेत्र विकसित करने की योजनाओं को रद्द किया जाय।

2 उत्तर और उत्तर–पश्चिम जिला में नियमितिकरण की सूची में शामिल 180 से अधिक अनधिकृत कालोनियां जिस जमीन पर आबाद हैं उस जमीन पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की रोहिणी आवासीय योजना, रोहिणी जोन–एम की के तहत प्रस्तावित सभी सड़कों, आवासीय सेक्टरों, व्यवसायिक केन्द्रों, औद्योगिक और हरितक्षेत्र विकसित करने की योजनाओं को रद्द किया जाय।

3 मास्टर प्लान 2021 में ऐसे प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए जिसमें यह सुनिश्चित हो कि किसी भी योजना को आगे बढाने से पहले उससे प्रभावित होने वाले लोगों के आवास और आजीविका के साधनों का पुनर्वास किया जाना आवश्यक हो।

4 मास्टर प्लान 2021 में ऐसे प्रावधान शामिल किए जांय जिससे 31 मार्च 1993 के बाद गिराई गई सभी अनधिकृत कालोनियों के प्रभावितों का पुनर्वास संभव हो सके।

5 नियमितिकरण की सूची में शामिल अनधिकृत कालोनियां जिस जमीन पर आबाद हैं उस जमीन पर जोनल प्लानों के तहत प्रस्तावित ऐसी सभी योजनाओं को रद्द किया जाय जिन योजनाओं के कारण ऐसी कालोनियों के अस्तित्व को संकट पैदा हो चुका है।

6 नियमितिकरण की सूची में शामिल अनधिकृत कालोनियां जिस जमीन पर आबाद हैं ऐसी जमीन का मालिकाना हक उन कालोनियों के निवासियों को मिले, मास्टर प्लान 2021 में सके ऐसे प्रावधान शामिल किए जांय।

7 अनधिकृत कालोनियों में अवैध तरीके से की जा रही खरीद–फरोखत के कारण जारी भ्रष्टाचार और काले धन के निवेश को रोकने के लिए ऐसी कालोनियों में खरीद–फरोख्त पर लगी रोक

जारी पृष्ट..2.

JAN SANGHARSH VAHINI (JSV)

हटाकर पकी रजिस्ट्री कर कालोनियों के विकास के लिए अलग से कोष का गठन किया जाय।

8 अनधिकृत कालोनियों में अवैध तरीके से जारी निर्माण कार्यों के कारण ललिता पार्क, पुरानी दिल्ली के चांदनी महल क्षेत्र और उत्तम नगर में घटी दुर्घटनाओं की पुनरावृति रोंकने और अवैध निर्माण के कारण जारी भ्रष्टाचार (संबधित विभागों के क्रमचारी और अधिकारियों के द्वारा की जा रही काली कमाई) पर रोक लगाने के लिए अनधिकृत कालोनियों में नए मकानों का निर्माण करने पर लगी रोक हटा दी जाय।

9 नियमितिकरण की सूची में शामिल अनधिकृत कालोनियां अधिग्रहण कर रखी जिस जमीन पर आबाद हैं मास्टर प्लान 2021 में संशोधन कर ऐसी ज़मीन का अधिग्रहण रद्द किया जाय।

10 नियमितिकरण की सूची में शामिल अनधिकृत कालोनियां जिस जमीन पर आबाद हैं यदि किसी योजना के लिए ऐसी जमीन का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया जारी है तो मास्टर प्लान 2021 में संशोधन कर उस जमीन का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया को रद्द किया जाय।

11 अनधिकृत कालोनियों को मौजुदा स्थिति में नियमित करने के लिए मास्टर प्लान 2021 और दिशा–निर्देशों में संशोधन किया जाय।

उत्तर पश्चिम जिला में सदियों से आबाद गांवों और मानव जाति के लिए अन्न पैदा कर रहे खेती पर निर्भर लोगों के संदर्भ में वाहिनी के सुझाव।

1. सदियों से आबाद गांवों के किसानों को भूमिहीन बनाकर दिल्ली को सौ फीसदी कंकरीट के जंगल में तब्दील करने की योजनाओं की अपेक्षा दिल्ली को आत्मनिर्भर शहर बनाने के लिए दिल्ली के किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम निल सके ऐसी योजना मास्टर प्लान 2021 में शामिल की जाय।
2. सदियों से आबाद गांवो मे प्रत्येक घर जिस जमीन पर आबाद हैं वह जमीन सरकारी कागजातों में साझी संपत्तियों के रूप में दर्ज है इसलिए गांवों में पुराने मकानों का नवीनीकरण करने के दौरान नक्शा पास कराने की वाध्यता मास्टर प्लान 2021 में समाप्त की जानी चाहिए।
3. सदियों से खेती पर निर्भर किसानों से उनकी कृषि भूमि के अधिग्रहण के बाद रोजगार के लिए आवासीय भूमि पर व्यवसायिक गतिविधियां चलाने की अनुमति का प्रावधान मास्टर प्लान 2021 में शामिल किया जाय।
4. बढे हुए लाल डोरे के प्लाटों पर बंटवारे के लिए लगी रोक हटाकर उसको भी परिवार के बिभाजन के दौरान अन्य संपत्तियों की तरह बांटने की अनुमति का प्रावाधान मास्टर प्लान 2021 में शामिल किया जाय।

भूपेन्द्र सिह रावत

Correspondence Address:C-172,Vijay Vihar,ph-II,Delhi-85:PH.: 011-2050692, 9013497453, Email: jsvindia1@gmail.com